शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 16 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 13 – 20 अप्रैल 2026 मूल्य पांच रूपये

धारा 118 की प्रसांगिकता पर उठते सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि की सुरक्षा के लिए बनाई गई धारा 118 आज खुद एक बड़े विवाद के केंद्र में खड़ी है। जिस कानून को कभी प्रदेश की पहचान, संसाधनों की रक्षा और स्थानीय किसानों के हितों की सुरक्षा का मजबूत कवच माना जाता था, वही अब कथित उल्लंघनों, प्रशासनिक ढिलाई और सिस्टमेटिक दुरुपयोग के आरोपों से घिरा हुआ है। पिछले कई वर्षो में सामने आये मामलों, जांच समितियों की रिपोर्टो, आरटीआई से मिली सूचनाओं और जमीनी स्तर पर बदलते पैटर्न ने यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि समस्या अब छिटपुट नहीं रही, बल्कि एक व्यापक और गहरे तंत्र में जड़ें जमा चुकी है।

धारा 118 की मूल भावना को समझना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 के तहत लाई गई इस धारा का उद्देश्य स्पष्ट था – राज्य की कृषि भूमि को बाहरी व्यक्तियों के हाथों में जाने से रोकना। पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां कृषि योग्य भूमि सीमित है और यही कारण था कि कानून ने यह व्यवस्था की कि कोई भी गैर – हिमाचली या गैर – कृषक व्यक्ति सीधे तौर पर कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। यदि किसी विशेष परिस्थिति में जमीन खरीदनी हो, तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया, जिसे आमतौर पर '118 परमिशन' कहा जाता है।

समय के साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन विस्तार और बुनियादी ढांचे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कानून में लचीलापन दिखाया और विशेष मामलों में अनुमति देना शुरू किया। उद्योग, होटल, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य विकास परियोजनाओं के नाम पर बाहरी निवेशकों को जमीन खरीदने की इजाजत दी जाने लगी। शुरुआत में यह व्यवस्था संतुलित दिखाई दी – एक ओर विकास, दूसरी ओर संरक्षण। लेकिन धीरे – धीरे इसी प्रक्रिया ने सवालों को जन्म देना शुरू किया।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धारा 118 के तहत दी जाने वाली अनुमति अपने घोषित उद्देश्य तक सीमित रही या उसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया गया? विभिन्न रिपोर्टो और दस्तावेजों का विश्लेषण बताता है कि कई मामलों में जमीन जिस उद्देश्य के लिए खरीदी गई, बाद में उसका उपयोग पूरी तरह बदल गया। औद्योगिक परियोजना के नाम पर खरीदी गई जमीन पर निजी आवास बन गए, पर्यटन इकाइयों के नाम पर ली गई जमीन का इस्तेमाल व्यावसायिक प्लॉटिंग में होने लगा, और लेबर हाउसिंग के नाम पर ली गई भूमि धीरे – धीरे प्रीमियम रियल एस्टेट में बदलती चली गई।

यही वह बिंदु है जहां धारा 118 की आत्मा और उसकी वास्तविक क्रियान्वयन के बीच का अंतर साफ नजर आने लगता है। कागजों पर सब कुछ नियमों के भीतर दिखता है – अनुमति ली गई, शर्तें तय हुई, फाइलें पूरी हुईं – लेकिन जमीन पर वास्तविकता कुछ और कहानी कहती है। इसे कई विशेषज्ञ 'प्रक्रियात्मक हेरफेर' का नाम देते हैं, जहां कानून का उल्लंघन सीधे – सीधे नहीं होता, बल्कि उसकी मंशा को दरकिनार कर दिया जाता है।

इस पूरे विवाद को समझने में जांच समितियों की भूमिका भी अहम रही है। एस.एस. सिद्धू समिति और जस्टिस डी.डी.सूद समिति जैसी जांचों ने अपने – अपने स्तर पर कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया। इन रिपोर्टो में यह सामने आया कि कई मामलों में अनुमति देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, शर्तो का पालन नहीं हुआ, और निगरानी तंत्र कमजोर रहा। कुछ रिपोर्टो में तो यह भी संकेत दिया गया कि प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही या संभावित मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर पैटर्न का बनना संभव नहीं है।

हालांकि, इन रिपोर्टो का एक दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है – इन पर कारवाई का अभाव। भारी – भरकम जांच, विस्तृत रिपोर्टे और गंभीर टिप्पणियों के बावजूद, आम जनता के सामने यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने मामलों में वास्तविक कारवाई हुई, किन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, और क्या किसी बड़े स्तर पर जवाबदेही तय की गई। यही कारण है कि धारा 118 का मुद्दा अब केवल कानूनी बहस नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न बन गया है।

जिला स्तर पर उभरते पैटर्न इस पूरे मामले को और स्पष्ट करते हैं। शिमला, कांगड़ा, सोलन और ऊना जैसे जिले – जहां जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं – वहीं धारा 118 के तहत अनुमतियों और कथित उल्लंघनों के मामले भी अधिक सामने आए हैं। कई मामलों में जमीन को पहले ग्रामीण श्रेणी में खरीदा गया और बाद में उसे नगर निकायों के दायरे में शामिल करवाकर उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दी गई। इस प्रक्रिया ने न केवल जमीन के उपयोग को बदला, बल्कि पूरे रियल एस्टेट परिदृश्य को भी प्रभावित किया।

इसमें एक और गंभीर सवाल जुड़ता है क्या धारा 118 के तहत एक व्यक्ति या संस्था कितनी बार अनुमति ले सकती है, इस पर कोई स्पष्ट सीमा है? उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय बताती है कि इस संबंध में कानून पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यही अस्पष्टता कथित दुरुपयोग की एक बड़ी वजह मानी जाती है। यदि एक ही व्यक्ति या समूह अलग – अलग नामों या परियोजनाओं के तहत बार – बार अनुमति लेता है, तो उसे ट्रैक करना और नियंत्रित करना और भी कठिन हो जाता है।

पारदर्शिता की कमी इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है। आज तक यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि धारा 118 के तहत किन – किन लोगों या संस्थाओं को अनुमति दी गई, उनमें से कितनों ने शर्तो का पालन किया, और कितने मामलों में उल्लंघन पाया गया। आरटीआई के जरिए जो सूचनाएं सामने आती हैं, वे अक्सर आंशिक होती हैं और एक समग्र तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पातीं। इससे न केवल संदेह बढ़ता है, बल्कि सिस्टम पर भरोसा भी कमजोर होता है।

जहां एक ओर बड़े निवेशक और प्रभावशाली लोग इस जटिल प्रक्रिया को समझकर उसका लाभ उठाने में सक्षम दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे किसान और स्थानीय लोग अक्सर इसी कानून के कारण परेशान होते हैं। यदि कोई किसान अपनी जमीन पर छोटा उद्योग या प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और इसके लिए बाहरी निवेशक से साझेदारी करना चाहता है तो उसे लंबी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कई बार यह प्रक्रिया इतनी कठिन हो जाती है कि वह प्रयास ही छोड़ देता है। यह असंतुलन कानून की मंशा और उसके प्रभाव के बीच एक गहरी खाई को दर्शाता है।

सरकार की ओर से समय – समय पर यह कहा जाता रहा है कि यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो सख्त कारवाई की जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से मेल खाती नजर नहीं आती। बड़े स्तर पर न तो उल्लंघनों की कोई आधिकारिक सूची सामने आई है, न ही ऐसे मामलों में की गई कारवाई का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया गया है। इससे यह धारणा मजबूत होती है कि या तो कारवाई सीमित स्तर पर हो रही है या फिर उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा।

धारा 118 को लेकर राजनीतिक बहस भी लगातार तेज होती रही है। विपक्ष अक्सर इसे सरकार की नाकामी और मिलीभगत का उदाहरण बताता है, जबकि सरकार विकास और निवेश की जरूरतों का हवाला देती है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे अहम मुद्दा छूट जाता है, वह है – जवाबदेही और पारदर्शिता। जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है और उल्लंघन पर क्या कारवाई हो रही है, तब तक यह बहस खत्म होने वाली नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान कानून को कमजोर या खत्म करने में नहीं, बल्कि उसे और मजबूत और पारदर्शी बनाने में है। अनुमति प्रक्रिया को डिजिटल और ट्रैकिंग आधारित बनाना, हर अनुमति का सार्वजनिक डेटाबेस तैयार करना, जमीन के उपयोग की समय – समय पर फील्ड वेरिफिकेशन करना और उल्लंघन पर त्वरित और कड़ी कारवाई सुनिश्चित करना – ये कुछ ऐसे कदम हैं जो इस समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं।

आज स्थिति यह है कि धारा 118, जो कभी हिमाचल की जमीन और किसानों की सुरक्षा का प्रतीक थी, अब खुद सवालों के घेरे में है। कानून मौजूद है, लेकिन उसके क्रियान्वयन में आई खामियां, निगरानी की कमजोरी और पारदर्शिता की कमी ने इसे विवादों में ला खड़ा किया है। यही कारण है कि अब यह मुद्दा केवल जमीन के लेन – देन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शासन, नीति और सार्वजनिक विश्वास की परीक्षा बन गया है।

राज्यपाल ने गेयटी थियेटर में 'मातृवंदना' पत्रिका का विशेषांक जारी किया

नशे के खिलाफ एकजुट होने का आहवान

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने गेयटी थियेटर में आयोजित कार्यक्रम में 'मातृवंदना' पत्रिका के विशेषांक 'पंच संकल्प से समाज परिवर्तन' और कैलेंडर का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने पत्रिका की ऑनलाइन सदस्यता प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया।

राज्यपाल ने कहा कि समाज को बेहतर और समृद्ध बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने पांच संकल्प नशे से दूर रहना, अच्छे संस्कार अपनाना, ईमानदारी व सही व्यवहार रखना, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना और देश के प्रति सम्मान व समर्पण को अपनाने का आहवान किया।

उन्होंने प्रदेश में बढ़ते नशे के खतरे पर चिंता जताते हुए कहा कि यह एक गंभीर सामाजिक चुनौती है और इसे खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने और देवभूमि को नशामुक्त बनाने की अपील की।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल अपनी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है, जो लोगों को एकजुट रहने और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और जीवन में अनुशासन व नैतिक मूल्यों को अपनाने पर भी जोर दिया।

उन्होंने 'मातृवंदना' पत्रिका की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी पहल समाज में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देती हैं और युवाओं को संस्कृति व इतिहास से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती हैं।

इस अवसर पर संस्कृत विद्वान डॉ. दयानंद शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने भारतीय संस्कृति और पत्रिका के योगदान पर अपने विचार साझा किए। कई गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

राज्यपाल ने हिमाचल दिवस पर प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल 1948 का दिन राज्य के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है, जब 30 छोटी-बड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था।

राज्यपाल ने कहा कि यह दिन केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि एकता, समर्पण और सामूहिक संकल्प का प्रतीक भी है। उन्होंने हिमाचल को वीर भूमि बताते हुए देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि राज्य आज अपना 79वां हिमाचल दिवस मना रहा है, जो गर्व का विषय है। सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

राज्यपाल ने इन उपलब्धियों का श्रेय प्रदेशवासियों की मेहनत, मजबूत इच्छाशक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। उन्होंने लोगों से समाज के कल्याण के लिए मिलकर काम करने और हिमाचल को नशामुक्त बनाने का संकल्प लेने की अपील की।

उन्होंने कहा कि देवभूमि की गरिमा बनाए रखने के लिए युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राज्यपाल ने विश्वास जताया कि हिमाचल दिवस सभी को एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित राज्य के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

पुलिस संचार निदेशालय अब हमीरपुर से संचालित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की बजट घोषणा के अनुरूप एवं शिमला शहर में भीड़-भाड़ कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश पुलिस के संचार एवं तकनीकी सेवाएं निदेशालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने के फैसले के उपरांत निदेशालय ने अब नए परिसर से पूर्ण रूप से कार्य आरम्भ कर दिया है।

राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण तकनीकी और संचार अधोसंरचना को फील्ड इकाइयों के नजदीक स्थापित करने से विभिन्न ज़िलों के बीच परिचालन प्रतिक्रिया, दक्षता और समन्वय में उल्लेखनीय सुधार होगा।

राज्य सरकार की यह दूरदर्शी पहल तेज निर्णय लेने, बेहतर तकनीकी सहायता और फील्ड इकाइयों को अधिक प्रभावी सेवा प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। इससे राज्य की कानून व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

नौणी विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक कृषि इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन

शिमला/शैल। स्कूली विद्यार्थियों के लिए कृषि व्यावसायिक प्रशिक्षण को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में 1.7 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक कृषि इनक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक शिक्षा के समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

यह इनक्यूबेशन सेंटर विश्वविद्यालय और समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया है। यह पहल शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित स्टार्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस सुविधा का उद्घाटन कुलपति राजेश्वर सिंह चंदेल द्वारा विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारियों और परियोजना से जुड़े संकाय सदस्यों की उपस्थिति में किया गया।

केंद्र आधुनिक अवसंरचना से सुसज्जित है, जिसमें आईओटी लैब, कंप्यूटर लैब, ग्रीनहाउस लैब, एसटीएल लैब तथा 40 विद्यार्थियों की क्षमता वाला कक्षा-कक्ष शामिल है। इसके अलावा ड्रोन, मेटा क्वेस्ट उपकरण, आधुनिक टैबलेट, हाइड्रोपोनिक प्रणाली, वर्षा जल संचयन इकाइयाँ और मृदा परीक्षण किट जैसी उन्नत सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं, जो विद्यार्थियों को व्यवहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेंगी।

विश्वविद्यालय और समग्र शिक्षा के बीच यह साझेदारी उन विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, जो कृषि को व्यावसायिक शिक्षा के रूप में अपनाना चाहते हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देना और उनमें उद्यमशीलता के कौशल विकसित करना है। इस परियोजना से प्रदेश के लगभग 227 विद्यालयों के 5,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलने की संभावना है, जिसकी कुल लागत लगभग 2.8 करोड़ रुपये है।

इस अवसर पर प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि यह इनक्यूबेशन सेंटर विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र का मुख्य उद्देश्य तकनीकी दक्षता, व्यावहारिक कौशल और पेशेवर दृष्टिकोण का विकास करना है, ताकि विद्यार्थी कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

उन्होंने आगे कहा कि नवाचार, अनुभवात्मक अधिगम और कौशल विकास को बढ़ावा देकर यह केंद्र विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। यह परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुरूप है, जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और अकादमिक जगत तथा उद्योग के बीच की दूरी को कम करने पर बल देती है। साथ ही, यह पहल युवाओं में उद्यमशील सोच विकसित कर उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

चंबा में पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा 22 से 24 अप्रैल तक

शिमला/शैल। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, शिमला द्वारा जिला चंबा और आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए पासपोर्ट मोबाइल वैन सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है।

यह मोबाइल वैन 22 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक एचपीपीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस, जिला चंबा में संचालित होगी। सेवा का समय प्रात: 9:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इस अवधि के दौरान केवल वे ही आवेदक सेवा का लाभ उठा सकेंगे, जिन्होंने पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्राप्त किया हुआ है। आवेदकों को निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर अपने पासपोर्ट आवेदन से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी।

सभी आवेदकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियां भी साथ लेकर आएं, ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

यह पहल विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं उनके निकट उपलब्ध कराने तथा सेवाओं को अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।

अपॉइंटमेंट बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए आवेदक Passport Seva Portal का अवलोकन कर सकते हैं।

लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का गिर जाना मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी:अनुराग शर्मा

शिमला/शैल। राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल का गिर जाना नरेंद्र मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है और इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि सरकार का सदन में बहुमत मजबूत नहीं है।

उन्होंने कहा कि इस बिल के खिलाफ 230 वोट पड़े, जबकि भाजपा की लोकसभा में संख्या करीब 240 है। इससे साफ झलकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अंतर मात्र 10 सांसदों का रह गया है, जिसे किसी भी समय बदला जा सकता है। उनके अनुसार, यह स्थिति सरकार के लिए राजनीतिक रूप से चिंताजनक है।

अनुराग शर्मा ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही वर्ष 2023 में संसद से पारित हो चुका है और इसे वर्ष 2029 में लागू किया जाना प्रस्तावित है। यदि सरकार इसे 2027 में लागू करना चाहती थी, तो उसी मूल विधेयक को प्रस्तुत करना चाहिए था, जिसे कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने पहले ही समर्थन दिया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भी सरकार से 2023 का मूल बिल लाने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने महिला आरक्षण की आड़ में अपना अलग राजनीतिक एजेंडा थोपने की कोशिश की, जिसे देश ने स्वीकार नहीं किया।

कांग्रेस की नीति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा से महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने की समर्थक रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण देने का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जबकि भाजपा ने इस मुद्दे पर केवल राजनीति की है।

उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि जब उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, तो उन्होंने इस विधेयक को संसद में पेश क्यों किया। उनके अनुसार, इससे सरकारी संसाधनों और करोड़ों रुपये का व्यर्थ खर्च हुआ, जिसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अब इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी।

संतुलित उर्वरक उपयोग पर जागरूकता अभियान शुरू

शिमला/शैल। आईसीएआर-केंद्रीय आलू अनुसन्धान संस्थान ने किसानों के बीच उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य खेती की लागत घटाना और मिट्टी की सेहत सुधारना है।

संस्थान के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि किसानों को सही मात्रा में उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जाएगा। अधिक उर्वरक इस्तेमाल करने से मिट्टी खराब होती है और उत्पादन पर भी असर पड़ता है।

यह अभियान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। इसके तहत गांवों में बैठकों, खेतों में प्रदर्शन और किसानों से सीधे संवाद के जरिए जानकारी दी जाएगी।

डॉ. जगदेव शर्मा ने बताया कि किसानों को ऐसी फसल योजना के बारे में भी सिखाया जाएगा, जिसमें कम उर्वरक की जरूरत होती है। वहीं डॉ. आलोक कुमार ने कहा कि 'मेरा गांव मेरा गौरव' कार्यक्रम के तहत टीमें गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क करेंगी।

यह अभियान हिमाचल के साथ-साथ कई अन्य राज्यों में भी चलाया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में 79वां हिमाचल दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह किन्नौर जिले के रिकांग पियो में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। परेड का नेतृत्व डीएसपी उमेश्वर राणा ने किया, जिसमें पुलिस, आईटीबीपी, होमगार्ड, एनसीसी और विभिन्न स्कूलों के दलों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दीं और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राज्य गठन में उनके योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किन्नौर की पात्र महिलाओं के लिए 'इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि' के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की। साथ ही रिकांग पियो में भू-तापीय ऊर्जा आधारित हीटिंग सिस्टम लागू करने का ऐलान किया, जिससे सरकारी संस्थानों और घरों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने तरांडा टनल के लिए 8 करोड़ रुपये देने, छोल्टू स्कूल को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अपग्रेड करने और उसमें सीबीएससी पाठयक्रम लागू करने की घोषणा की। किन्नौर का पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो अभी रोहडू में चल रहा है, उसे उरनी स्थानांतरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने श्रेणी-1 और श्रेणी-2 अधिकारियों के 3 प्रतिशत वेतन स्थगन को वापस लेने का भी ऐलान किया। साथ ही 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लंबित भुगतान मई तक करने की बात कही। हालांकि मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में की गई कटौती फिलहाल जारी रहेगी।

पुलिस कर्मियों के लिए भी अहम घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी पात्र गैर-राजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एक रैंक उच्च पद दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि निगुलसरी-भावानगर सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है और रिकांग पियो-शिमला के बीच हेली-टैक्सी सेवा शुरू की गई है। साथ ही पूह-काजा ट्रांसमिशन लाइन परियोजना शुरू की जाएगी, जिससे हजारों लोगों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि शिपकी-ला के रास्ते चीन के साथ सीमा व्यापार 1 जून से फिर शुरू होगा और कैलाश मानसरोवर यात्र को भी इसी मार्ग से शुरू करने का मामला केंद्र के पास उठाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों, बागवानों और मछुआरों को प्राथमिकता दे रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही मछुआरों को मानसून के दौरान 3500 रुपये की सहायता दी जाएगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि चार मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है और जल्द ही अन्य संस्थानों में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी 151 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ज्वालामुखी और नैनादेवी में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दीं।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण भी किए। कार्यक्रम में कई मंत्री, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

टापरी में भू-तापीय फल इकाई का निरीक्षण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के टापरी में स्थापित भू-तापीय ऊर्जा आधारित सेब कोल्ड स्टोरेज और फल सुखाने की संयुक्त इकाई का निरीक्षण किया। यह विश्व की पहली ऐसी सुविधा है जो भू-तापीय ऊर्जा से संचालित होती है और 1,000 टन क्षमता रखती है। यह परियोजना एचपीएमसी और आइसलैंड की एक कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में इस इकाई में 16,963 किलोग्राम फलों का प्रसंस्करण किया गया है। इनमें 5,105 किलोग्राम फल नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच और 11,948 किलोग्राम फल जून 2025 से जनवरी 2026 के दौरान प्रसंस्कृत किए गए।

उन्होंने कहा कि इस तकनीक के तहत फलों को सुरक्षित रखने और सुखाने के लिए भू-तापीय ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, जिससे बिजली पर निर्भरता कम होती है। यह प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है और कृषि क्षेत्र में एक नई पहल मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में यह इकाई स्थानीय किसानों और बागवानों के लिए अधिक लाभकारी साबित होगी और उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगी।

इस मौके पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के लिए 10 करोड़ बालिका आश्रम व सैनिक भवन को 2-2 करोड़

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर जिले के कल्पा में निर्माणाधीन राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल और खेल छात्रावास का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्कूल भवन के लिए लोक निर्माण विभाग को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की घोषणा की। इसके साथ ही डे-बोर्डिंग स्कूल परिसर में बनने वाले बालिका आश्रम के लिए 2 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इन परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा, ताकि काम समय पर पूरा हो सके।

इससे पहले किन्नौर जिला पूर्व सैनिक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सैनिक विश्राम गृह के लिए वित्तीय सहायता की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने सैनिक विश्राम गृह के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने रिकांगपिओ और कल्पा में जन समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए।

हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री ने दिए सिविल सर्विसिस अवॉर्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार-2026 प्रदान कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया। इस दौरान सिविल सर्विसिस अवॉर्ड, प्रेरणा स्रोत सम्मान और हिमाचल गौरव पुरस्कार दिए गए।

सिविल सर्विसिस अवॉर्ड के तहत उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग को विभागीय/संस्थान श्रेणी में, जबकि एसडीएम बल्ह (मंडी) स्मृतिका नेगी को व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया।

प्रेरणा स्रोत सम्मान में शिमला की चारू शर्मा और किन्नौर की छोनजिन ऐंग्मो को व्यक्तिगत श्रेणी में नवाजा गया। वहीं महिला कबड्डी खिलाड़ियों रितु नेगी, साक्षी शर्मा, पुष्पा, भावन देवी और चंपा ठाकुर को समूह श्रेणी में सम्मान मिला। इसके अलावा चमियाणा अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग को भी यह सम्मान दिया गया।

हिमाचल गौरव पुरस्कार के तहत पद्म श्री से सम्मानित प्रेम लाल गौतम, डॉ. ओ.पी. शर्मा, डॉ. ब्रिज शर्मा, हरलीन कौर और स्नेहलता को व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भी पुरस्कृत किया। साथ ही परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान 24 परिवारों को वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत भूमि के पट्टे प्रदान किए गए। इसके अलावा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के 9 लाभार्थियों को घर बनाने के लिए पहली किश्त के रूप में एक-एक लाख रुपये के चेक दिए गए। इस योजना के तहत कुल तीन लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जिससे विधवाओं, निराश्रित और एकल महिलाओं को लाभ मिलेगा।

जनता के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है कांग्रेस: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनता के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करती रही है। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मानस सरकार के समर्थन में जनता से मतदान की अपील की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मतदाता, विशेष रूप से युवा वर्ग, परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं और वे विकास, पारदर्शिता तथा सुशासन पर आधारित सरकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 20 वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जो पार्टी के पुनर्गठन और जनसमर्थन का संकेत है।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनहित की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों और जातियों का समान सम्मान करती है तथा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उसका सशक्त होना आवश्यक है।

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की कार्यशैली से आम जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जबकि दूसरी ओर भाजपा की राजनीति समाज में विभाजन पैदा करने वाली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता अब स्थिर, पारदर्शी और जवाबदेह शासन चाहती है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी आगे भी पूरे संकल्प और दृढ़ता के साथ जनता के अधिकारों, सामाजिक न्याय और समान अवसरों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

वह परिवर्तन स्वयं बनें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

महिला आरक्षण: प्रतिनिधित्व की राह में राजनीति की दीवार

महिला आरक्षण का प्रश्न भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में कोई नया नहीं है, लेकिन हर बार यह जिस तरह से राजनीतिक मोहरे में बदल जाता है, वह असली मंशा पर सवाल खड़े करता है। इस बार भी संसद में बहुचर्चित बिल का पास न हो पाना केवल विधायी असहमति नहीं, बल्कि उस गहरी राजनीतिक खाई का संकेत है जहां नीतियों से अधिक नैरेटिव की लड़ाई लड़ी जा रही है। एक ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक अवसर बताती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और विपक्ष इसे अधूरा और राजनीतिक समयबद्धता से प्रेरित कदम मानते हैं। सवाल यह नहीं है कि महिला आरक्षण होना चाहिए या नहीं–इस पर लगभग सर्वसम्मति है–सवाल यह है कि इसे किस रूप में और किन शर्तों के साथ लागू किया जाए।

विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिस ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, वह केवल राजनीतिक तर्क नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व की बहस का केंद्र है। यदि महिला आरक्षण के भीतर ही सामाजिक विविधता का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो यह आशंका निराधार नहीं कि इसका लाभ सीमित वर्गों तक सिमट सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि हर सुधार को सही बनाने की कोशिश कई बार उसे लागू होने से ही रोक देती है। भाजपा का यह तर्क कि पहले महिला आरक्षण लागू हो, बाद में उसमें सुधार किए जाएं व्यावहारिक प्रतीत होता है, परंतु इसके पीछे के राजनीतिक मकसद को भी नजरअंदाज नही किया जा सकता है।

चुनावी माहौल के बीच इस तरह का बड़ा सामाजिक बिल लाना स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है कि क्या यह वास्तविक सुधार की इच्छा है या फिर एक रणनीतिक चाल। भाजपा के लिए यह महिला मतदाताओं के बीच एक मजबूत संदेश देने का अवसर है, वहीं कांग्रेस के लिए इसे 'चुनावी स्टंट' साबित करना एक राजनीतिक आवश्यकता। इस खींचतान में मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आता है और केंद्र में आ जाता है कि कौन इसका श्रेय लेगा और कौन इसका विरोध झेलेगा।

दक्षिण भारत के राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की चिंताएं इस बहस को और जटिल बना देती हैं। परिसीमन और जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व के सवाल पर उनका डर केवल क्षेत्रीय राजनीति नहीं, बल्कि संघीय संतुलन का मुद्दा है। यदि महिला आरक्षण के साथ–साथ सीटों के पुनर्विन्यास का प्रभाव असमान रूप से पड़ता है, तो यह राष्ट्रीय एकता के लिए भी चुनौती बन सकता है। ऐसे में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि सरकार इन आशंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट रोडमैप पेश करे।

जनता के स्तर पर यह पूरा मुद्दा एक अलग ही नजरिए से देखा जा रहा है। शहरी और शिक्षित वर्ग इसे एक आवश्यक सुधार के रूप में देखता है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े वर्गों में यह सवाल अधिक मुखर है कि क्या यह आरक्षण उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लायेगा या नहीं। यह अंतर दर्शाता है कि नीति निर्माण में केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ का समावेश भी उतना ही जरूरी है।

इस का निष्कर्ष स्पष्ट है महिला आरक्षण केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र की परीक्षा है। यदि यह केवल चुनावी लाभ–हानि के तराजू पर तोला जायेगा, तो इसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। सरकार को चाहिए कि वह पारदर्शिता के साथ एक स्पष्ट समय सीमा और कार्ययोजना प्रस्तुत करे, वहीं विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह रचनात्मक सहयोग दे, न कि केवल विरोध की राजनीति करे। अंततः, महिलाओं के अधिकार किसी दल विशेष की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी हैं। अगर यह समझ राजनीतिक वर्ग में नहीं आयी, तो महिला आरक्षण का मुद्दा आगे भी बार–बार उठेगा, बहस होगी, लेकिन समाधान शायद फिर टल जाएगा।

मदरसा और विश्वविद्यालयों का एकीकरण परंपरा व प्रयोग का बेहतर संतुलन

गौतम चौधरी

उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा को लेकर हाल के घटनाक्रम, भारतीय मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक और सामाजिक दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड को कामिल और फ़ाज़िल जैसी उच्च डिग्रियाँ प्रदान करने के अधिकार को अमान्य ठहराए जाने के बाद, स्वाभाविक रूप से विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच अनिश्चितता का माहौल बना। इसके प्रत्युत्तर में राज्य सरकार द्वारा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन कर मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से जोड़ने का प्रस्ताव, नई दिशा की ओर संकेत करता है। यह आने वाले समय के लिए बेहतर विकल्प भी साबित हो सकता है।

यह पहल केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि एक व्यापक शैक्षिक पुनर्संतुलन का प्रयास है। जहाँ पारंपरिक इस्लामी शिक्षा और आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणाली के बीच एक सार्थक सेतु स्थापित किया जा सकता है।

मदरसों ने ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समाज, विशेषकर सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संस्था ने धार्मिक अध्ययन, इस्लामी न्यायशास्त्र और शास्त्रीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा को संरक्षित रखा है। किंतु बदलती आर्थिक और पेशेवर आवश्यकताओं के संदर्भ में यह भी स्पष्ट हुआ है कि मदरसा शिक्षा की पारंपरिक संरचना, छात्रों को व्यापक रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों से पूर्णत: नहीं जोड़ पाती है।

विशेष रूप से कामिल और फ़ाज़िल जैसी डिग्रियाँ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ढाँचे में औपचारिक मान्यता के अभाव में, छात्रों के लिए उच्च शिक्षा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और विविध पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश को सीमित करती रही हैं। परिणामस्वरूप, अनेक प्रतिभाशाली छात्र अपने विकल्पों को सीमित दायरे में पाते हैं।

ऐसे में मदरसों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध करने का प्रस्ताव संभावनाओं के नए द्वार खोल सकता है। यदि इन डिग्रियों को उपयुक्त ब्रिज कोर्स और पाठयक्रम सुधार के माध्यम से विश्वविद्यालयी ढाँचे में समाहित किया जाता है, तो छात्र न केवल आधुनिक विषयों और शिक्षण पद्धतियों से परिचित होंगे, बल्कि व्यापक शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों तक भी उनकी पहुँच सुनिश्चित हो सकेगी। इससे वे उच्च अध्ययन, शोध, प्रशासनिक सेवाओं और कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बन सकते हैं, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग जैसी परीक्षाओं में भी भागीदारी संभव हो सकेगी।

इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे पहचान के विलय के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों के विस्तार के रूप में देखा जाए। मदरसों की मूल धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना को सुरक्षित रखते हुए, पाठयक्रम, शिक्षण पद्धति और प्रशासनिक ढाँचे को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना ही इस पहल की सफलता की कुंजी होगी।

इसके लिए सरकार, शिक्षाविदों और समुदाय के नेतृत्व के बीच सतत संवाद आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवर्तन संवेदनशील, समावेशी और व्यावहारिक हो। साथ ही, शिक्षकों के प्रशिक्षण, छात्रों के लिए मार्गदर्शन और पाठयक्रम के संतुलित पुनर्गठन जैसे कदम इस संक्रमण को सहज बनाने में सहायक होंगे।

अनुकूलन, संरचनात्मक बदलाव और मानसिक स्वीकार्यता की दृष्टि से निस्संदेह यह परिवर्तन अल्पकालिक चुनौतियाँ लेकर आएगा लेकिन इसके दीर्घकालिक लाभ कहीं अधिक व्यापक हैं। यह पहल इस मूल विचार को सुदृढ़ करती है कि धार्मिक शिक्षा और आधुनिक करियर परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

अत: मदरसों और विश्वविद्यालयों का यह संभावित एकीकरण केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब मदरसा छात्र अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक ज्ञान और कौशल से लैस होकर समाज में प्रवेश करेंगे, तभी एक समावेशी और संतुलित विकास की वास्तविक आधारशिला रखी जा सकेगी।

ग्रामीण रोजगार की मजबूती की दिशा में निर्णायक पहल

भारत के ग्रामीण परिदृश्य में रोजगार सृजन और आजीविका सुरक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। इसी संदर्भ में शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ की गई समीक्षा बैठक कई मायनों में अहम मानी जा सकती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना और विकसित भारत–जी राम जी (ग्रामीण) जैसी नई पहल की तैयारियों को गति देना था।

मनरेगा देश की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसने वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का आधार प्रदान किया है। यह योजना न केवल गरीब परिवारों को आय का साधन देती है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में इसका सुचारु संचालन अत्यंत आवश्यक है। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि किसी भी स्तर पर कार्यों में रुकावट न आये और श्रमिकों को समय पर रोजगार उपलब्ध हो। साथ ही, मजदूरी भुगतान में देरी जैसी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता भी रेखांकित की गई।

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि पंचायत स्तर पर पर्याप्त कार्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। यदि कार्यों की कमी होगी, तो श्रमिकों को रोजगार पाने में कठिनाई होगी, जिससे योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, जॉब कार्ड से वंचित पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने की बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे योजना की पहुंच और अधिक व्यापक हो सकेगी।

इस बैठक की एक और महत्वपूर्ण कड़ी विकसित भारत–जी राम जी (ग्रामीण) पहल है, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगी। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

वित्तीय दृष्टि से भी सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट दिखाई देती है। वित्तीय वर्ष 2026–27 की पहली किस्त के रूप में 17,744.19 करोड़ रूपय की राशि जारी करना इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार इस योजना को लेकर गंभीर है। हालांकि, केवल धनराशि उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सही और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

वर्तमान समय को एक संक्रमण काल के रूप में देखा जा सकता है, जहां एक ओर मनरेगा के तहत रोजगार की निरंतरता बनाए रखना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर नई योजनाओं के लिए आधार तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस संतुलन को बनाए रखना ही प्रशासनिक क्षमता की असली परीक्षा है।

यह स्पष्ट है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर समन्वित प्रयास करें, तो ग्रामीण भारत में रोजगार और विकास की नई संभावनाएं खुल सकती हैं। मनरेगा और विकसित भारत–जी राम जी जैसी पहलें तभी सफल होंगी, जब उनका क्रियान्वयन पारदर्शी, समयबद्ध और जनहित केंद्रित होगा।

राज्य सरकार की 'हिम परिवार' पहल बनी वरदान डेटा आधारित सुशासन को मिली नई दिशा

शिमला/शैल। डिजिटल युग में सुशासन का आधार जहां विश्वसनीय और समेकित आंकड़े बनते जा रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश ने 'हिम परिवार' पहल के माध्यम से एक नई मिसाल स्थापित की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना पारंपरिक बिखरी हुई सेवा प्रणाली से आगे बढ़कर एकीकृत और डेटा-आधारित शासन मॉडल की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित 'हिम परिवार' का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक परिवार और नागरिक की सामाजिक-आर्थिक जानकारी को एक ही मंच पर लाना था। यह पहल एक सशक्त राज्य सामाजिक रजिस्ट्री के रूप में विकसित हो चुकी है, जिसमें 19,25,258 परिवार और 75,92,697 नागरिक शामिल हैं। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि सटीक और प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर नीति निर्माण की दिशा में बड़े बदलाव का संकेत भी देती है।

इस प्रणाली के केंद्र में 'हिम एक्सेस' एकल साइन-ऑन (SSO) प्लेटफॉर्म है, जिसने नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवाओं तक पहुंच को बेहद सरल बना दिया है। अब एक ही यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। वर्तमान में 7.2 लाख से अधिक उपयोगकर्ता और लगभग 46,000 सरकारी कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जिससे सेवा वितरण अधिक प्रभावी और समयबद्ध हुआ है।

'हिम परिवार' के तहत प्रत्येक परिवार और सदस्य को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है, जिससे लाभार्थियों की पहचान, पात्रता सत्यापन और योजनाओं से जुड़ाव आसान हो गया है। इससे न केवल नागरिकों पर दस्तावेज़ी बोझ कम हुआ है, बल्कि सेवाओं तक उनकी पहुंच भी सुगम बनी है।

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका मजबूत डेटा सत्यापन और एकीकरण तंत्र है। मोबाइल आधारित सर्वेक्षण और रियल-टाइम वेरिफिकेशन के जरिए आंकड़ों को लगातार अपडेट किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 39,697 मृत, 5,595 अपात्र और 600 अनुपलब्ध लाभार्थियों की पहचान कर अनावश्यक भुगतान रोका गया है, जिससे राज्य को हर माह लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। इसके अलावा 1,07,071 लंबित मामलों का सत्यापन भी जारी है।

विभागीय समेकन ने इस पहल को और अधिक प्रभावी बनाया है। 23,91,536 घरेलू बिजली कनेक्शन, 14,77,098 भूमि अभिलेख और 2,11,698 शहरी परिवारों के आंकड़ों को एकीकृत कर एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया गया है। साथ ही निर्माण श्रमिकों और अन्य वर्गों के सर्वेक्षण से योजनाओं की पहुंच अधिक समावेशी बनी है।

इस प्रणाली को नागरिक पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु), डिजिलॉकर सेवाओं और केंद्र सरकार के 'माई स्कीम' पोर्टल से भी जोड़ा गया है, जिससे पात्र लाभार्थियों की स्वत: पहचान संभव हुई है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है।

'हिम परिवार' केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का एक मजबूत आधार बन चुका है। अद्यतन और विश्वसनीय डेटा के माध्यम से सरकार बेहतर निर्णय ले पा रही है और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।

निरंतर सर्वेक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म और विभागीय तालमेल के माध्यम से इस सामाजिक रजिस्ट्री को लगातार अपडेट रखा जा रहा है, जिससे यह प्रणाली हमेशा प्रासंगिक और गतिशील बनी रहे। साथ ही डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मानकों का पालन कर नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई है।

राज्य सरकार के सतत प्रयासों से 'हिम परिवार' आज सुशासन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह पहल स्पष्ट करती है कि आंकड़े केवल सूचना नहीं, बल्कि पारदर्शिता, दक्षता और समावेशी विकास का आधार हैं। लाखों नागरिकों को एक ही डिजिटल मंच पर जोड़कर प्रदेश ने उत्तरदायी और भविष्य उन्मुख शासन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

सरकारी स्कूलों में सीबीएसई के प्रति बढ़ा आकर्षण मंडी में 12 हजार से अधिक छात्रों ने लिया प्रवेश

हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठयक्रम लागू करने के फैसले को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जिला मंडी में इस पहल के तहत पहले चरण में 23 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है, जहां छात्रों और अभिभावकों में प्रवेश को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है।

16 अप्रैल 2026 तक इन स्कूलों में कुल 12,083 छात्रों ने विभिन्न कक्षाओं में दाखिला ले लिया है। जोगिंदरनगर और करसोग जैसे क्षेत्रों में प्रवेश का आंकड़ा एक-एक हजार के पार पहुंच चुका है, जो इस योजना की लोकप्रियता को दर्शाता है।

जिला के भंगरोटू, मढ़ी, पनारसा, जोगिंदरनगर, करसोग, गोहर, मंडी, सरकाघाट, जंजैहली, सुंदरनगर, रिवालसर, गद्दीधार, मंडप, भराड़ी, सज्जयाओपिपलू, चौंतड़ा, कोटली, बालीचौकी, पांगणा, पधर, तेबन, बलद्वाड़ा, भद्रवाड़ और कोलनी ढलवान स्थित सरकारी विद्यालयों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया जारी है।

कक्षा-वार आंकड़ों पर नजर डालें तो बाल वाटिका से लेकर जमा दो तक सभी कक्षाओं में उल्लेखनीय नामांकन हुआ है। छठी, नौवीं, दसवीं, जमा एक और जमा दो कक्षाओं में प्रवेश का आंकड़ा एक हजार से अधिक हो चुका है। जमा एक में 1862 और जमा दो में 1873 विद्यार्थियों का प्रवेश इस बात का संकेत है कि उच्च कक्षाओं में भी छात्रों का भरोसा सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ा है।

इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है। पहले जहां निजी स्कूलों की ऊंची फीस के कारण अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था, वहीं अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ और किफायती हो गई है। मंडी की आसमा फातुन और नगीना कुमारी जैसे कई अभिभावकों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों में करवाया है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिली है।

छात्रों में भी इस बदलाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजे स्कूल मंडी में दाखिला लेने वाली छात्राओं आशय शर्मा और अर्पिता शर्मा ने कहा कि अब उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सीबीएसई पैटर्न लागू होने के बाद नामांकन में लगातार वृद्धि हो रही है। बीजे स्कूल मंडी के प्रधानाचार्य अशोक ठाकुर ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर प्रवेश सुनिश्चित करें। वहीं, उप निदेशक उच्च शिक्षा यशवीर धीमान ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया विलंब शुल्क के साथ 30 अप्रैल तक जारी रहेगी और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा।

प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि हर वर्ग के बच्चों को समान अवसर मिल सके। सरकारी स्कूलों में बढ़ती यह भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो आने वाले समय में प्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्य को नई दिशा दे सकता है।

भारत का फार्मा सेक्टर : नवाचार और युवाओं के लिए नया आकाश

– श्रीमती अनुप्रिया पटेल
राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

भारत आज दुनिया की ''फार्मेसी'' के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर चुका है, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विज़न के अनुरूप अब हम केवल जेनेरिक दवा बनाने वाले देश से आगे बढ़कर एक ''नवाचार-आधारित'' वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य ऐसी नीतियां बनाना है जिससे देश के हर नागरिक कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण दवाएं से मिल सकें। साथ ही सरकार निरंतर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे रही है और भारतीय फार्मा उद्योग को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काम कर रही है।

भारत की अब तक की सफलता उसकी उत्पादन क्षमता, लागत दक्षता और गुणवत्ता मानकों पर आधारित रही है। विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जेनेरिक दवाओं और 60 प्रतिशत वैक्सीन आपूर्ति के साथ देश ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसको देखते हुए भारत सरकार ने 8 से 10 वर्षों में देश को उच्च-मूल्य, नवाचार-आधारित बायोफार्मा और उन्नत चिकित्सीय उत्पादों का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है।

इसकी आधारशिला के रूप में हालिया केंद्रीय बजट में घोषित 10,000 करोड़ रूपये की 'बायोफार्मा शक्ति' पहल महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम देश में वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार आधारित उद्योगों और अगली पीढ़ी की दवाओं के विकास को गति प्रदान करेगा।

आर्थिक आंकड़े भी इस बात को दर्शाते हैं कि भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग वर्तमान में 50 अरब डॉलर का है। जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, 2030 तक इसके 130 अरब डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। इसे केवल संख्या नहीं, बल्कि देश के लाखों युवाओं के लिए बेहतर भविष्य के रोडमैप के तौर पर भी देखने की जरूरत है।

वर्तमान में फार्मास्युटिकल उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 30 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। 2030 तक हेल्थकेयर और फार्मा क्षेत्र में 20 से 25 लाख नए रोजगार सृजित होंने की उम्मीद है। बायोफार्मा, मेडटेक और क्लीनिकल रिसर्च जैसे उभरते क्षेत्रों ने संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं।

हमारी सरकार का मानना है कि युवाओं की सफलता की नींव एक मजबूत शैक्षणिक ढांचे पर टिकी होती है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट में फार्मा सेक्टर के लिए और भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। सरकार ने देश में तीन नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर) स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, वर्तमान में कार्यरत सात नाईपर संस्थानों को अपग्रेड किया जा रहा है। इन सात संस्थानों में ''सेंटर ऑफ एक्सीलेंस'' की स्थापना की गई है, जो अनुसंधान और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से विशेष क्षेत्रें में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, नाईपर मोहाली में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल दवाओं की खोज एवं विकास, नाईपर अहमदाबाद में मेडिकल डिवाइसेज, नाईपर हैदराबाद में बल्क ड्रग्स, नाईपर कोलकाता में फ्लो केमिस्ट्री और सतत विनिर्माण, नाईपर रायबरेली में नोबेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नाईपर गुवाहाटी में फाइटोफार्मास्यूटिकल्स तथा नाईपर हाजीपुर में बायोलॉजिकल थैरेप्यूटिक्स पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इन संस्थानों का सीधा लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा। नाईपर केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं रह जाएंगे, बल्कि वे ऐसे केंद्र बनेंगे जहां छात्र उद्योग की वास्तविक चुनौतियों पर काम करेंगे। इससे हमारे छात्र केवल ''जॉब सीकर'' नहीं बल्कि ''जॉब क्रिएटर'' और नवाचारी बनेंगे।

बदलते दौर में काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक फार्मा सेक्टर के लगभग 30-35 प्रतिशत कार्यबल को री-स्किलिंग यानी नए कौशल सीखने की जरूरत होगी। केयर डिलीवरी, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग की परिभाषाएं बदल रही हैं। डेटा विश्लेषण, डिजिटल हेल्थ और नियामक मामलों में उच्च कौशल वाले युवाओं की मांग तेजी से बढ़ेगी।

हमारी सरकार का ध्यान इसी ''स्किल गैप'' को भरने पर है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र क्लीनिकल रिसर्च और अनुसंधान और विकास में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करें।

शिक्षा और उद्योग के बीच की दूरी को कम करना हमारी प्राथमिकता है। जब तक हमारे कॉलेजों में पढ़ाया जाने वाला पाठयक्रम और उद्योग की जरूरतें एक समान नहीं होंगी, तब तक हम ''जनसांख्यिकीय लाभांश'' का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इसीलिए, हम ''उद्योग-अकादमिक साझेदारी'' को मजबूत कर रहे हैं। इसी दिशा में, शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल बिठाने के लिए नाईपर और उद्योग के बीच 356 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही स्किल डेवलपमेंट मिशनों के माध्यम से छात्रों को सीधे कंपनियों के साथ जुड़ने के मौके दिए जा रहे हैं। इससे न केवल युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, बल्कि भारत एक ग्लोबल इनोवेशन हब बनेगा।

औषधि क्षेत्र का विकास जीडीपी बढ़ाने के साथ-साथ देश के युवाओं को सशक्त बनाने का भी एक मिशन है। ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की नींव हमारे युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के कंधों पर है। नाईपर का विस्तार और बजट में किए गए प्रावधान इस बात का प्रमाण हैं। हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जहां एक छात्र अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से वैश्विक स्तर पर बदलाव ला सके। भारत के औषधि क्षेत्र का यह स्वर्णिम युग हमारे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत @2047' के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रहा है।

किसानों को MSP राहत, युवाओं के लिए नौकरियां, व्यवस्था में सुधार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में

प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्की का एमएसपी 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिला की पांगी घाटी के जौ का एमएसपी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का एमएसपी 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अदरक का एमएसपी 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 1000 पुलिस कांस्टेबल के पद सृजित कर इन्हें भरने का निर्णय लिया।

बैठक में वन विभाग में 500 सहायक वन रक्षक के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया, जिसमें वन मित्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।

मंत्रिमंडल ने वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों को निश्चित मानदेय पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 विधि सलाहकार (लीगल कंसलटेंट) नियुक्त करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने नए चिकित्सा महाविद्यालयों में क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल विशेषज्ञता वाले शिक्षण स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए सेवानिवृत्त फैक्लटी मेम्बर्स को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित होगा।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग के मॉडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया ताकि विभाग जनता को बेहतर सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवा सके।

बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्रक्रिया को सरल और अधिक सुगम बनाने को मंजूरी प्रदान की है। नए प्रावधानों का उद्देश्य व्यापार में सुगमता, आवासीय भवन मालिकों को लाभ पहुंचाना और अग्नि सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है।

मंत्रिमंडल ने युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 01 मई, 2026 से परमवीर चक्र विजेता ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार की सेवाएं लेने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने हाइड्रो पावर पॉलिसी-2006 के अनुसार राज्य में स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने इस नीति के मुताबिक पात्रता मापदण्ड पूरे कर लिए हैं।

शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने किन्नौर दौरे के दौरान सतलुज नदी पर बन रही 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग-कड़छम जलविद्युत परियोजना की

प्रगति की समीक्षा की और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पावरहाउस, सर्ज शाफ्ट और बैराज क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने परियोजना के पहले चरण को जनवरी 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि तय समयसीमा में इसका कार्य पूरा हो सके।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह परियोजना राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना का करीब 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बैराज, हेड रेस टनल और पावरहाउस जैसे मुख्य कार्य अंतिम चरण में हैं, जबकि अन्य तकनीकी कार्य भी निर्धारित समय के अनुसार चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि परियोजना पूरी होने पर हर साल लगभग 1,579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा और इससे प्रदेश की ऊर्जा क्षमता व ग्रिड स्थिरता में सुधार आएगा। साथ ही यह परियोजना राज्य की अर्थव्यवस्था में हर साल करीब 900 करोड़ रुपये का योगदान देगी।

इस दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का 76.07 करोड़ का बजट पारित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए वित्त वर्ष 2026-27 का 76.07 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी वार्षिक बजट पारित कर दिया गया है, जो प्रदेश में तकनीकी शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। वित्त समिति की बैठक में कुलपति एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन की अध्यक्षता में व्यापक विचार-विमर्श के बाद इस बजट को मंजूरी दी गई, जिसे बाद में विश्वविद्यालय के शासी मंडल (बीओडी) ने भी अनुमोदित कर दिया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को नवाचार, शोध कौशल और सह-शैक्षणिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना भी है। उन्होंने इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय में उद्यमिता विकास कार्यक्रम, औद्योगिक अनुभव और प्रशिक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि विद्यार्थी न केवल ज्ञान अर्जित करें बल्कि व्यावहारिक कौशल के साथ आत्मनिर्भर भी बन सकें।

कुलपति डॉ. अभिषेक जैन ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय शीघ्र ही पीएच.डी. कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जिसे परिसर के साथ-साथ संबद्ध संस्थानों में भी लागू किया जाएगा। यह पहल प्रदेश में शोध संस्कृति को मजबूत करने और उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होगी।

बजट में पहली बार शोध एवं नवाचार को विशेष महत्व देते हुए अलग से प्रावधान किए गए हैं। आधुनिक प्रयोगशालाओं और तकनीकी अवसंरचना के विकास के लिए 3 करोड़ रुपये तथा पुस्तकों, ई-पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं के लिए 1 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, पीएच.डी. गाइड को प्रत्येक सफल शोध पूर्ण होने पर 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय लिया गया है।

विद्यार्थियों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का बजट 25 लाख से बढ़ाकर 55 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही छात्र क्लब, कैंपस प्लेसमेंट, सॉफ्ट स्किल, औद्योगिक प्रशिक्षण और लैंगिक संवेदनशीलता जैसे क्षेत्रों के लिए भी पहली बार विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उद्यमिता विकास के लिए 2 करोड़ रुपये और औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बात का संकेत है कि विश्वविद्यालय अब विद्यार्थियों को नौकरी के साथ-साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी तैयार करने पर जोर दे रहा है। वहीं, छात्र गतिविधियों और कौशल विकास के लिए कुल 70 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं।

यह बजट विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को दर्शाता है, जिसमें शिक्षा, शोध, कौशल विकास और उद्यमिता का संतुलित समावेश है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पहल हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा परिदृश्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

अम्बेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के चौड़ा मैदान में भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि

अर्पित की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ. अंबेडकर एक महान समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने अपना जीवन समानता, न्याय और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण में उनका योगदान अतुलनीय है और उन्होंने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया।

उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा को समाज को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा माध्यम माना और एक समानतामूलक समाज के निर्माण की दिशा दिखाई। मुख्यमंत्री ने लोगों से उनके आदर्शों को अपनाने का आहवान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'समानता के शिल्पकार' के रूप में डॉ. अंबेडकर के स्मारक का भी अनावरण किया और कहा कि उनकी सोच आज भी देश को प्रगतिशील और समावेशी बनाने की प्रेरणा देती है।

कार्यक्रम में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। इस दौरान कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे।

शिमला में 1.56 करोड़ की मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला के बालूगंज में 1.56 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट का लोकार्पण किया। यह आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली शहर में संक्रामक रोगों की समय पर पहचान और नियंत्रण में अहम भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यूनिट एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में काम करेगी, जो किसी भी रोग प्रकोप या आपदा की स्थिति में तुरंत सक्रिय होकर हालात का विश्लेषण करेगी और अस्पतालों को अलर्ट करेगी। उन्होंने बताया कि देश के केवल 20 शहरों में ऐसी यूनिट स्थापित हैं और हिमाचल प्रदेश पहला पर्वतीय राज्य है जहां यह सुविधा शुरू की गई है।

यह यूनिट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और शिमला नगर निगम के सहयोग से स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य शहर को अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना है।

मेट्रोपॉलिटन सर्विलांस यूनिट स्वास्थ्य से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखेगी, अलर्ट जारी करेगी और पानी, खाद्य पदार्थों, मच्छरजनित और पशुजनित रोगों के नमूनों के परीक्षण में भी सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी और शिमला की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता को मजबूत बनाएगी। उन्होंने यूनिट के संचालन क्षेत्र और प्रयोगशाला का भी निरीक्षण किया।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल सहित कई अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

20 अप्रैल से स्कूलों में बायोमीट्रिक अपडेट शिविर शुरू

शिमला/शैल। प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 20 अप्रैल 2026 से अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट (एमबीयू) शिविर लगाए जाएंगे। यह शिविर डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे।

सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के आधार कार्ड का बायोमीट्रिक अपडेट करना है, जिन्होंने 5 साल और 15 साल की उम्र पूरी कर ली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नियमों के अनुसार इन आयु वर्ग के बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट, आंखों (आइरिस) का स्कैन और फोटो अपडेट कराना जरूरी होता है, ताकि उनका आधार कार्ड वैध बना रहे।

यह शिविर जिला स्तर पर अलग-अलग चरणों में आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्कूलों में ही बच्चों का बायोमीट्रिक अपडेट किया जाएगा, जिससे अभिभावकों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों के साथ आधार कार्ड की कॉपी, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर (यदि हो) और जरूरत के अनुसार खुद भी शिविर में मौजूद रहें।

सरकार ने कहा है कि समय पर यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है, ताकि भविष्य में बच्चों को आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी न हो।

जल शक्ति विभाग के 101 कार्यालय ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म से जुड़े

शिमला/शैल। प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस सुधारों को गति देते हुए जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विभाग के 101 कार्यालयों में ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक कार्यो में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित हुई है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस डिजिटल पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब विभागीय संचार पूर्ण रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित हो रहा है। इससे कार्यो में तेजी आई है और फाइलों के निस्तारण में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह पहल सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विभाग ने निर्धारित समय सीमा के भीतर डिजिटल बनने का लक्ष्य प्राप्त कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहल विभाग को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगी।

विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन के नेतृत्व में इस परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा किया गया, जो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि कुल 101 कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है, जिनमें प्रमुख अभियंता स्तर के दो कार्यालय जल शक्ति विभाग, शिमला और जल शक्ति विभाग (प्रोजेक्ट) मंडी शामिल हैं। इसके अलावा सभी सात मुख्य अभियंता कार्यालय, 17 वृत्त कार्यालय (अधीक्षण अभियंता स्तर) तथा 75 अधिशासी अभियंता कार्यालय इस डिजिटल प्रणाली से जुड़ चुके हैं।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश राज्य जल एवं सामुदायिक प्रशिक्षण संस्थान, ढांगसीधार, मंडी को भी ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। अब फाइलों का संचालन प्रमुख अभियंता कार्यालय से लेकर सचिव, जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है।

इस डिजिटल परिवर्तन से विभाग में कार्यो की रियल-टाइम निगरानी संभव हो पाई है, जिससे निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है और लंबित मामलों में कमी आई है। साथ ही, कागजी कार्यवाही में कमी आने से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विभाग ने अब उप-मंडल स्तर तक ई-ऑफिस प्रणाली के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पहल न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाएगी, बल्कि हिमाचल प्रदेश में ई-गवर्नेंस को और अधिक सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बजट पास

शिमला/शैल। शिमला में आयोजित राज्य व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट को मंजूरी दे दी गई, जिससे प्रदेश में कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सचिव डॉ. अभिषेक जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में न केवल बजट पर मुहर लगी, बल्कि पूर्व में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा करते हुए भविष्य की रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। परिषद ने एससीवीटी सोसायटी की आय-व्यय की स्थिति का विश्लेषण किया और वित्तीय प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।

बैठक में आयुष विभाग से आए एक अहम प्रस्ताव पर भी विचार हुआ, जिसमें आयुर्वेदिक स्पा थेरेपिस्ट (पंचकर्म) पाठयक्रम का नाम बदलकर 'पंचकर्म तकनीशियन' करने का सुझाव दिया गया। इस प्रस्ताव के तहत कांगड़ा स्थित आरजीजीपीजी आयुर्वेदिक अस्पताल और छोटा शिमला के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अस्पताल में सीटें बढ़ाने के साथ-साथ राज्य के 12 जिला एवं सरकारी अस्पतालों में इस पाठयक्रम को शुरू करने की योजना शामिल है। परिषद ने इस पहल को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए इसे युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खोलने वाला कदम बताया, खासकर उस दौर में जब आयुष आधारित सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।

इसके अलावा परिषद ने बागवानी, प्राकृतिक एवं जैविक खेती और डेयरी प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने को भी हरी झंडी दी। ये कोर्स घुमारवीं, जुब्बल, रिकांग-पियो, रैल, ठियोग और शाहपुर के छः सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शुरू किए जाएंगे। इन पाठयक्रमों को प्रदेश की भौगोलिक और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे न केवल युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि पर्यावरण अनुकूल खेती और कृषि उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञ कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए पाठयक्रम विकसित करने का निर्णय भी इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। इसमें विभिन्न विभागों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों में सुधार होगा। परिषद ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों-2025 के लिए नए संबद्धता मानकों को अपनाने, शुल्क संरचना तय करने और निजी आईटीआई खोलने या उनमें नए ट्रेड जोड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी।

यह बैठक केवल बजट पारित करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रदेश के कौशल विकास ढांचे को आधुनिक, व्यावहारिक और रोजगारोन्मुखी बनाने की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में सामने आई है, जो आने वाले समय में युवाओं के लिए नए अवसरों का आधार तैयार कर सकती है।

पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ एनएच-105 के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर सुरेश कश्यप ने प्रदेश सरकार को घेरा

शिमला/शैल। पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-105) के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर प्रदेश की राजनीति में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार की लापरवाही और ढुलमुल रवैये के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना बुरी तरह प्रभावित हुई है।

कश्यप ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लोकसभा में नियम 377 के तहत उठाया था, जिसके बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को परियोजना में लगातार आ रही बाधाओं के चलते ईपीसी ठेकेदार मैसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया गया अनुबंध समाप्त करना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार समय पर भूमि उपलब्ध करवाने में पूरी तरह विफल रही, जिसके चलते निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हो पाया और अंततः ठेकेदार को काम छोड़ना पड़ा। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि इसका सीधा नुकसान प्रदेश की जनता और औद्योगिक क्षेत्र को उठाना पड़ रहा है।

कश्यप ने कहा कि परियोजना में देरी के पीछे कई कारण सामने आये हैं, जिनमें भूमि अधिग्रहण में देरी, आवश्यक स्वीकृतियों का समय पर न मिलना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 तक भी भूमि का पूर्ण हस्तांतरण नहीं हो सका था, जिससे परियोजना की प्रगति बाधित रही।

इसके अलावा, हरियाणा में खनन विभाग द्वारा मिट्टी उठाने की अनुमति में लगभग एक वर्ष की देरी, उच्च वोल्टेज (एचटी) बिजली लाइनों के स्थानांतरण में बाधाएं तथा वर्ष 2023 में हुई भारी वर्षा ने भी कार्य को प्रभावित किया। हालांकि, कश्यप ने कहा कि इन सबके बावजूद सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की ही बनती है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र द्वारा नई निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और राजमार्ग के रख-रखाव के लिए दो संचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) एजेंसियों की तैनाती भी की गई है, ताकि सड़क की वर्तमान स्थिति को सुधारा जा सके।

करीब 30.300 किलोमीटर लंबा यह राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें लगभग 17 किलोमीटर हिस्सा हिमाचल प्रदेश में आता है, क्षेत्र के औद्योगिक विकास, व्यापारिक गतिविधियों और आम लोगों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

अंत में कश्यप ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार केवल श्रेय लेने की राजनीति कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यो को आगे बढ़ाने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को मजबूती से उठाती रहेगी और प्रदेश के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

हिमाचल दिवस पर शीर्ष नेतृत्व की शुभकामनाएं संस्कृति और परंपरा को सराहा

शिमला/शैल। हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

नेताओं ने अपने संदेशों में हिमाचल प्रदेश को 'देवभूमि' बताते हुए इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और यहां के लोगों की मेहनत व समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विकास, सुशासन तथा समृद्धि के नए आयाम स्थापित करता रहेगा।

सभी नेताओं ने प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा जताई कि हिमाचल निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदमः डॉ जितेंद्र सिंह

शिमला/शैल। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कांग्रेस और विपक्ष पर इसे रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक बिल नहीं, बल्कि भाजपा की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा है,

जिसका उद्देश्य महिलाओं को नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में बराबरी की भागीदारी देना है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पिछले 50 वर्षो से महिला आरक्षण की बात करती रही, लेकिन इसे लागू नहीं कर पाई, जबकि मोदी सरकार ने 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता तैयार किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनसे महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव आया है। चाहे वह शौचालय निर्माण से गरिमा बढ़ना हो या गैस कनेक्शन से धुएं से मुक्ति।

इस अवसर पर सरोज पांडे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं को लंबे समय तक केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। उन्होंने प्रियंका गांधी के 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों की असली लड़ाई के समय विपक्ष पीछे हट गया।

भाजपा नेताओं का कहना है कि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और आने वाले समय में इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट लोकतांत्रिक संदेश देंगी।

महिला आरक्षण पर देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात का आरोपः सुरेश कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बातल में सांसद निधि से निर्मित बस स्टैंड और सार्वजनिक सेवा केंद्र भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इन कार्यो से ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा और डिजिटल

सेवाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर मिलेगा, जिससे आम लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा और भाजपा जिला अध्यक्ष रत्न सिंह पाल भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान सुरेश कश्यप ने संसद में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य दलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों का विरोध कर देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को नीति निर्माण में बराबरी का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह उनका अधिकार है, कोई उपकार नहीं।

कश्यप ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य को नुकसान नहीं होगा और सभी क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक स्वार्थ और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करती रहेगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

चेस्टर हिल्सः दो रेरा सर्टिफिक्केट एक प्रोजेक्ट और सवालों का जाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित 'चेस्टर हिस्ल' प्रोजेक्ट इन दिनों केवल रियल एस्टेट निवेश का विषय नहीं रहा, बल्कि यह नियामक व्यवस्था, पारदर्शिता और कानून के पालन पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला बन गया है। इस पूरे विवाद की जड़ में हैं हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दो अलग-अलग रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र एक 02 मार्च 2023 से 02 मार्च 2043 तक और दूसरा 17 अक्तूबर 2023 से 17 अक्तूबर 2028 तक।

पहला प्रमाणपत्र (Sr. No. 001047) 'CHESTER HILLS-2' के नाम से जारी किया गया, जिसमें 20 वर्षों की असामान्य रूप से लंबी वैधता दी गई। दूसरा प्रमाणपत्र (Sr. No. 001077) 'CHESTER HILLS PH-4' के नाम से केवल 5 वर्षों के लिए जारी हुआ। दोनों में प्रमोटर और भूमि स्वामी के रूप में M/S Chester Hills और श्री हंसराज ठाकुर का ही नाम है, और प्रोजेक्ट लोकेशन में पता ठाकुर निवास, बाईपास रोड, सोलन है।

यहीं से कहानी उलझने लगती है। रेरा अधिनियम, 2016 के तहत किसी भी प्रोजेक्ट को रजिस्ट्रेशन देने से पहले प्राधिकरण को जमीन के स्वामित्व, कानूनी स्थिति, नक्शा स्वीकृति, वित्तीय स्रोत और अन्य सभी आवश्यक अनुमतियों की गहन जांच करनी होती है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि जब एक ही डेवलपर, एक ही लोकेशन और लगभग समान प्रकृति के प्रोजेक्ट के लिए दो अलग-अलग अवधि और नामों से सर्टिफिकेट जारी किए गए, तो क्या दोनों बार समान स्तर की जांच हुई?

पहले सर्टिफिकेट में 20 साल की अवधि अपने आप में असामान्य है। आमतौर पर रेरा प्रोजेक्ट की अनुमानित निर्माण अवधि के आधार पर तीन से सात वर्षों तक का समय देता है। ऐसे में 20 वर्षों का रजिस्ट्रेशन यह संकेत देता है कि या तो प्रोजेक्ट को बहुत बड़े मास्टर प्लान के रूप में देखा गया, या फिर नियमों की व्याख्या में ढील बरती गयी।

दूसरी ओर, उसी वर्ष अक्तूबर में जारी 5 साल का सर्टिफिकेट यह दर्शाता है कि प्रोजेक्ट को एक नए चरण (Phase-4) के रूप में पेश किया गया। लेकिन क्या यह वास्तव में अलग चरण है या उसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा? यदि यह एक ही मास्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो फिर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन और अलग-अलग अवधि क्यों?

यहां एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है-दस्तावेजों की छानबीन। दोनों सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रमोटर को किसी अन्य लागू कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जमीन खरीद से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कानून धारा 118 है, जिसके तहत बाहरी व्यक्तियों को जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है।

अब सवाल यह है कि जब रेरा ने यह सर्टिफिकेट जारी किए, तब क्या उसने यह सुनिश्चित किया कि जमीन की खरीद पूरी तरह वैध है? क्या यह जांच की गई कि कहीं बाहरी निवेशकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जमीन का अधिग्रहण तो नहीं हुआ? यदि बाद में इस तरह के आरोप सामने आते हैं, तो यह सीधे-सीधे रेरा की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है।

दोनों सर्टिफिकेट में एक समान शर्त भी है प्रोजेक्ट से प्राप्त 70% धनराशि को एक अलग बैंक खाते में जमा करना होगा, ताकि उसका उपयोग केवल निर्माण और जमीन लागत के लिये हो। यह प्रावधान खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि पैसों के लेनदेन को लेकर आरोप सही साबित होते हैं, तो यह भी जांच का विषय बनेगा कि क्या इस शर्त का पालन किया गया या नहीं।

पहले सर्टिफिकेट में कुछ अतिरिक्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं। जैसे कि कुछ मंजिलों को सामुदायिक उपयोग के लिये आरक्षित रखना और 15 प्लॉट्स को केवल प्लॉट के रूप में ही बेचना। यह दर्शाता है कि प्रोजेक्ट की संरचना जटिल है और इसमें विभिन्न प्रकार के उपयोग शामिल हैं। ऐसे में रेरा की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वह हर पहलू की गहराई से जांच करे।

अब सबसे बड़ा सवाल क्या यह केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल? रेरा के चेयरपर्सन के हस्ताक्षर इन सर्टिफिकेट्स पर मौजूद हैं, जिससे यह मामला और संवेदनशील हो जाता है। हालांकि केवल हस्ताक्षर होने से किसी की भूमिका संदिग्ध नहीं मानी जा सकती, लेकिन यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं, तो जिम्मेदारी तय होना तय है।

भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करें, तो फिलहाल ये आरोप स्तर पर हैं और उनकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकती है। लेकिन दो अलग-अलग सर्टिफिकेट, अलग-अलग अवधि, और समान प्रोजेक्ट लोकेशन ये सभी तथ्य मिलकर संदेह को जन्म जरूर देते हैं।

आगे चलकर इस मामले में किन-किन लोगों पर गाज गिर सकती है, यह पूरी तरह जांच पर निर्भर करेगा। इसमें डेवलपर, भूमि मालिक, बिचौलिये, और यदि कोई प्रक्रियात्मक चूक पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।

जहां तक बाहरी लोगों से पैसा लेकर प्रोजेक्ट चलाने का सवाल है, रेरा कानून इसे पूरी तरह नहीं रोकता, लेकिन हिमाचल के भूमि कानून इसे सीमित जरूर करते हैं। यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जमीन में निवेश किया है, तो उसकी वैधता की जांच अनिवार्य है।

फिलहाल, चेस्टर हिल्स प्रोजेक्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम, हर दस्तावेज और हर निर्णय की जांच जरूरी हो गई है। यह केवल एक प्रोजेक्ट का मामला नहीं, बल्कि उस सिस्टम की परीक्षा है जो रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इन दोनों प्रमाणपत्रों के बीच का रहस्य स्पष्ट हो पाता है या यह मामला और गहराता है। लेकिन इतना तय है कि 'चेस्टर हिल्स' अब एक साधारण परियोजना नहीं, बल्कि रेरा की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता का आईना बन चुका है।

यह केवल एक प्रोजेक्ट का विवाद नहीं, बल्कि उस सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा है, जिस पर हजारों निवेशकों का भरोसा टिका होता है।

यह है प्रमाणपत्र

From C
Rule-5(1)
Real Estate Regulatory Authority
Government of Himachal Pradesh

Sr. No. : 001047
Issue Date : 02/03/2023
Registration No. : HPRERASOL2023047/P
Valid Upto : 02/03/2043

Project Registration Certificate

This registration certificate is granted under section 5 of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 to :

M/S CHESTER HILLS(DEVELOPER/ PROMOTER) SH. HANSRAJ THAKUR(PROMOTER/LAND OWNER), Registered office/Principal Place of business **HANS RAJ S/O SH. BHOOP SINGH NEAR HINDUSTAN SANITARY STORE, #326 BYE PASS, SHAPRUN(653),SOLAN, Solan, Himachal Pradesh**, for developing land as **Plotted + Development / Construction Mixed Use (Residential & Commercial) Project** at **thakur niwas, by pass road, Solan, Himachal Pradesh**.

1. Name and Type of the Project : **CHESTER HILLS-2 (Plotted + Development / Construction Mixed Use (Residential & Commercial))**
2. Project License/Sanctioned No. issued by the Competent Authority : **5547**
3. This registration is granted subject to the following conditions, namely :
   i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as prescribed by the State Government (Please download from HP RERA website)
   ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be or the common areas as per section 17 of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
   iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section (4) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
   iv. The registration shall be valid for a period of **20** year(s) **0** month(s) commencing from **02/03/2023** and ending with **02/03/2043** unless extended by the Authority in accordance with the Act and the rules made thereunder
   v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, and
   vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force as applicable to the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
   vii. ***1) The second floor having public and semi public amenities and third floor having conference hall are for the community and cannot be sold and are required to be handed over to the association of allottees. 2) 15 Plots as per the inventory are to be sold only as plots and not buildings.***
4. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Place : **Shimla**

Dr. SHRIKANT BALDI
Chairperson
Real Estate Regulatory Authority
Government of Himachal Pradesh

From C
Rule-5(1)
Real Estate Regulatory Authority
Government of Himachal Pradesh

Sr. No. : 001077
Issue Date : 17/10/2023
Registration No. : HPRERASOL2023077/P
Valid Upto : 17/10/2028

Project Registration Certificate

This registration certificate is granted under section 5 of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 to :

M/S CHESTER HILLS(DEVELOPER/ PROMOTER) SH. HANSRAJ THAKUR(PROMOTER/LAND OWNER), Registered office/Principal Place of business **HANS RAJ S/O SH. BHOOP SINGH NEAR HINDUSTAN SANITARY STORE, #326 BYE PASS, SHAPRUN(653),SOLAN, Solan, Himachal Pradesh**, for developing land as **Plotted + Development / Construction Mixed Use (Residential & Commercial) Project** at **THAKUR NIWAS, BY PASS ROAD, Solan, Himachal Pradesh**.

1. Name and Type of the Project : **CHESTER HILLS PH-4 (Plotted + Development / Construction Mixed Use (Residential & Commercial))**
2. Project License/Sanctioned No. issued by the Competent Authority : **MC/SLN/Map/2021-22/23-500**
3. This registration is granted subject to the following conditions, namely :
   i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as prescribed by the State Government (Please download from HP RERA website)
   ii. The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be or the common areas as per section 17 of Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
   iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section (4) of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
   iv. The registration shall be valid for a period of **5** year(s) **0** month(s) commencing from **17/10/2023** and ending with **17/10/2028** unless extended by the Authority in accordance with the Act and the rules made thereunder
   v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder, and
   vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force as applicable to the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016
4. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Place : **Shimla**

Dr. SHRIKANT BALDI
Chairperson
Real Estate Regulatory Authority
Government of Himachal Pradesh

घोषणाओं से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा विश्वविद्यालय

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह के कार्यकाल के दौरान पांच नये शोध केंद्रों की स्थापना को एक बड़े शैक्षणिक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इन केंद्रों का उद्देश्य विश्वविद्यालय को शोध, नवाचार और आधुनिक ज्ञान प्रणाली के क्षेत्र में नई दिशा देना था। लेकिन लगभग नौ महीने बीत जाने के बाद इनकी प्रगति को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है, वह उम्मीदों से काफी अलग दिखाई देती है।

इन पांच केंद्रों में सेंटर फॉर ग्रीन एनर्जी एंड नैनोटेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी चार केंद्र अभी तक अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाये हैं। ग्रीन एनर्जी केंद्र ने बाहरी फंडिंग प्राप्त की है और हाल ही में एसजेवीएन, शिमला से लगभग 4 करोड़ रुपये की परियोजना मिलने के बाद इसे एकमात्र सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। यह उदाहरण दर्शाता है कि यदि शोध की दिशा स्पष्ट हो और उद्योग से जुड़ाव मजबूत हो, तो विश्वविद्यालय स्तर पर भी बड़े प्रोजेक्ट संभव हैं।

इसके विपरीत, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम, हिमालय सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेसिलियंस, सेंटर फॉर पहाड़ी कल्चर एंड हेरिटेज और रामानुजन सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन मैथमेटिक्स जैसे केंद्र अभी तक अपनी घोषणा के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाये हैं। न तो इन केंद्रों को उल्लेखनीय बाहरी फंडिंग प्राप्त हुई है और न ही इनके द्वारा घोषित शोध परियोजनाएं जमीनी स्तर पर दिखाई देती हैं।

सबसे अधिक सवाल हिमालयी आपदा प्रबंधन केंद्र को लेकर उठ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन अब तक इसका कोई ठोस कार्यान्वयन दिखाई नहीं देता, जिससे इसकी कार्यक्षमता और योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

विश्वविद्यालय के भीतर पहले से ही कई विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। समाजशास्त्र, पुरातत्व, रक्षा अध्ययन, जनसंख्या अध्ययन और सोशल वर्क जैसे विभागों में न तो पर्याप्त लैब सुविधाएं हैं और न ही आधुनिक शोध उपकरण। ऐसे में जब नये शोध केंद्रों की स्थापना होती है लेकिन उनके लिए अलग से मजबूत संसाधन ढांचा तैयार नहीं होता, तो यह मौजूदा व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डालता है।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन केंद्रों की प्रस्तुति और वास्तविक स्थिति में अंतर दिखाई दे रहा है। वार्षिक कैलेंडर और प्रचार सामग्री में इन्हें अत्याधुनिक और विकसित रूप में दिखाया गया है, जबकि जमीनी स्तर पर कई केंद्र अभी भी प्रारंभिक या कागजी अवस्था में बताये जा रहे हैं। इससे पारदर्शिता और वास्तविकता को लेकर बहस तेज हो गई है।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक केंद्र को छोड़कर बाकी चार शोध केंद्र अभी तक अपने घोषित उद्देश्यों के अनुरूप परिणाम नहीं दे पाये हैं। यह स्थिति विश्वविद्यालय के शोध ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि ये केंद्र वास्तव में शोध और नवाचार का आधार बनते हैं या केवल प्रशासनिक घोषणा बनकर रह जाते हैं।